

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

हरी शंकर प्रसाद कुशवाहा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 336

03 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या विभागीय कार्यवाही तब टिकाऊ थी जब जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 1 असिद्ध पाया गया और आरोप संख्या 2 केवल आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया।
- क्या केवल आपराधिक जांच के दस्तावेजों के आधार पर, बिना अभियोगी की गवाही के, सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा जा सकता है।

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया। जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 1 असिद्ध पाया। आरोप संख्या 2, आरोप संख्या 1 पर आधारित था। पहले आरोप के असिद्ध होने और दूसरे आरोप के सिद्ध होने की रिपोर्ट परस्पर विरोधी है। (कंडिका 7, 10)

साधारण आपराधिक प्रकरण की प्राथमिकी, पुलिस पत्राचार और ट्रैप पूर्व ज्ञापन जैसे दस्तावेजों के आधार पर अभियोगी की गवाही के बिना रिश्त लेने का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता। (कंडिका 13)

अभियोगी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ। जांच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 2 को आंशिक रूप से सिद्ध मानना अस्थिर है। विभागीय प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष को स्वीकार कर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया, जो विधिक दृष्टि से अस्थिर है। दंडादेश दिनांक 8-7-2019 को अवैध प्रक्रिया का परिणाम मानकर रद्द किया गया। (कंडिका 14, 15)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (कंडिका 18)

न्याय दृष्टान्त

रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य, (2009) 2 एससीसी 570

अधिनियमों की सूची

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

मुख्य शब्दों की सूची

विभागीय कार्यवाही; सतर्कता ट्रैप प्रकरण; अवैध पारितोषिक; जांच अधिकारी की रिपोर्ट; सेवा से बर्खास्तगी; अपीलीय प्राधिकारी की समीक्षा; विभागीय कार्यवाही रद्द

प्रकरण से उत्पन्न

याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के उपरांत, सतर्कता थाना कांड सं. 14/2016 में रिश्त लेने के आरोप में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ हुई जब वह समस्तीपुर में एलआरडीसी के रूप में कार्यरत था।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्री रजनीगंधा, अधिवक्ता; श्री शाश्वत श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्री सनी रमन, अधिवक्ता; श्री अभिजीत कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से: श्री शिव शंकर प्रसाद (एससी-8)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 336

हरि शंकर प्रसाद कुशवाहा, पिता- दीप नारायण प्रसाद राम, निवासी गांव-चिलमारा सिमिया, कटिहार, थाना-कटिहार , जिला-कटिहार (बिहार)

... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. विभागीय जांच अधिकारी, सामान्य प्रशासनिक विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर।

... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री रजनीगंधा, अधिवक्ता श्री शास्वत श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री सनी रमन, अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री शिव शंकर प्रसाद (एससी-8)

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक: 03-08-2023

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. समाहर्ता कार्यालय, समस्तीपुर में भूमि सुधार उप-समाहर्ता (भू . सु. उप. स.) के रूप में काम करते हुए एक आदेश पारित करने के लिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
3. संक्षिप्त पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ता ने उक्त कार्य स्थल पर 17-08-2015 को कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने 2015 का मामला संख्या 17 वाला एक विवाद लिया,

जिसमें अमरनाथ चौधरी शिकायतकर्ता थे। उक्त कार्यवाही, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा मामले की सुनवाई की गई थी, में अंतिम तिथि 17-12-2015 है। उन्होंने एक आदेश दर्ज किया है कि पक्षों की सुनवाई हो चुकी है और आदेश पारित करने के लिए अभिलेख सुरक्षित रखा गया है। मामले के शिकायतकर्ता ने एक शिकायत के साथ सतर्कता अधिकारियों से संपर्क किया कि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश पारित नहीं किए जा रहे थे और जिसके लिए वह कुछ अवैध राशि की मांग कर रहा था।

4. उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को एक जालसाज़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सतर्कता जाँच विभाग द्वारा सतर्कता थाना मामला संख्या 14/2016 दर्ज किया गया। उन्हें कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 10,000/- रुपये की रिश्त लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उनकी रिहाई के बाद वे विभाग में पुनः शामिल हो गए हैं।

5. जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर ने अपने दिनांक 18-05-2016 के पत्र के तहत याचिकाकर्ता को आरोप-ज्ञापन संप्रेषित किया। आरोप-ज्ञापन में दो आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने 2015 के भूमि विवाद मामला संख्या 17 में आदेश पारित नहीं करके प्रशासनिक चूक और अपने कर्तव्य की लापरवाही की है। दूसरा आरोप यह है कि याचिकाकर्ता को उक्त मामले के शिकायतकर्ता से रिश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।

6. आरोप ज्ञापन में तीन दस्तावेजों की एक सूची है जिनके आधार पर विभाग आरोपों को सिद्ध करना चाहता था। 2015 के शिकायत मामला संख्या 17 का आदेश पत्र पहले आरोप के समर्थन में एक साक्ष्य था। दूसरा सबूत शिकायतकर्ता द्वारा 10-3-2015 को दायर लिखित आवेदन था, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया था। दूसरे आरोप के समर्थन में, अधिकारियों ने आरक्षी अधीक्षक, सतर्कता जांच ब्यूरो के दिनांक 11-2-2016 के पत्र और 2016 के सतर्कता मामला संख्या 14 के प्राथमिकी पर निर्भरता रखने का प्रस्ताव रखा।

7. याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया। अनुसंधान कर्ता ने आरोप संख्या 1 के सिद्ध न होने का निष्कर्ष दिया है। अनुसंधान कर्ता द्वारा आरोप संख्या 2 सिद्ध पाया गया है, लेकिन आंशिक रूप से। आरोप संख्या 2 का कौन सा भाग सिद्ध हुआ है, यह जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

8. इस तरह की जांच प्रतिवेदन के आधार पर, जांच समाप्त कर दी गई और याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष जांच प्रतिवेदन के जवाब में अपना दूसरा कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने बिहार

सरकारी कर्मचारी(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रस्तुत किया है।

9. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने दिनांक 8-7-2019 के प्रस्ताव द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता ने सजा के आदेश के खिलाफ स्मरण पत्र द्वारा पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है, जिसे भी दिनांक 23-6-2020 के आदेश के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है।

10. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील है कि सजा के आदेश और अपीलीय प्राधिकरण विधि की नजर में अनुपयुक्त हैं। आरोप संख्या 2, आरोप संख्या 1 के परिणामस्वरूप है और उस पर निर्भर है। दोनों आरोप एक ही तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि याचिकाकर्ता ने शिकायत मामला संख्या 17/2015 में आदेश पारित करने के लिए अवैध रिश्त की मांग की थी, जब वह समस्तीपुर में भू . सु . उप . स. के पद पर तैनात था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया कि पहला आरोप साबित न होना और दूसरा आरोप साबित होना अपने आप में विरोधाभासी और विकृत है। दोनों आरोपों का आधार याचिकाकर्ता द्वारा मामले में आदेश पारित करने के लिए अवैध रिश्त की मांग पर आधारित है। इस प्रकार यह समझ से परे है कि एक आरोप साबित किया जा सकता है और दूसरा साबित नहीं किया जा सकता है।

11. यह भी दलील दिया जाता है कि जांच में, यहां तक कि आरोप लगाने वाले की भी जांच नहीं की गई है और जिन दस्तावेजों पर निर्भर हो के दूसरे आरोप को साबित किया गया है, वे किसी भी पुलिस मामले को दर्ज करते समय पुलिस अधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से जारी किए गए दस्तावेज हैं। मामला दर्ज करने के दस्तावेजों और पूर्व-जाल ज्ञापन, जिस पर अनुसंधान कर्ता द्वारा चर्चा की गई है, उन्हें अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बनाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता आरोपों का दोषी था। ऐसे दस्तावेजों के आधार पर आरोप साबित नहीं किए जा सके जो आपराधिक जाँच का हिस्सा है। दलील यह है कि प्राधिकारी ने पूर्व-निर्धारित धारणा के साथ काम किया है और इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है।

12. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को एक आरोप ज्ञापन दिया गया था। जाँच के दौरान उन्हें उचित अवसर दिया गया था और दूसरे कारण बताओ नोटिस के बाद और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करते हुए सजा का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

13. जवाबी दलीलों पर विचार करने और **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब**

नेशनल बैंक एवं अन्य (2009) 2 एससीसी 570 में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील से सहमति दर्ज करता है। किसी भी आपराधिक मामले को दर्ज करने की नियमित प्रक्रिया में पत्राचार और दस्तावेज और इसकी जांच को *अपने आप में* कार्यवाही में याचिकाकर्ता के अपराध का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं बनाया जा सकता, जिसमें आरोप अवैध रिश्तित स्वीकार करने का है।

14. मामले का दूसरा पहलू जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप का समर्थन करने के लिए आरोप लगाने वाला भी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ था। अनुसंधान कर्ता के निष्कर्ष, जिसमें आरोप संख्या 2 को आंशिक रूप से सिद्ध माना गया है, इसलिए अनुपयुक्त हैं। अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अनुसंधान कर्ता के निष्कर्षों को स्वीकार किया है और बर्खास्तगी की कठोर सजा देने की कार्यवाही की है, जो निष्कर्ष निकालने के तरीके को देखते हुए अपने आप में अनुपयुक्त है।

15. न्यायालय का मानना है कि दिनांक 8-7-2019 का दंडादेश एक अवैध प्रक्रिया का परिणाम है और इसका कोई आधार नहीं है। दंडादेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

16. याचिकाकर्ता की अपील पर विचार करने वाला अपीलीय प्राधिकरण भी कानून के अनुसार कार्य करने में विफल रहा है। अपीलीय प्राधिकारी ने पूरी कार्यवाही को केवल उसी तरह दर्ज किया है जैसे वह आगे बढ़ी है, मानो उसका आदेश अपील की तारीखों की एक पत्रिका से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ भी विचार किए बिना बर्खास्तगी के अवैध आदेश की पुष्टि की गई है। इसलिए, इस तरह के अवैध आदेश की पुष्टि भी अनुपयुक्त है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के तरीके को देखते हुए, अपील की पूरी प्रक्रिया निरर्थक साबित हुई है।

17. इसलिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 23-6-2020 के आदेश को भी रद्द किया जाना चाहिए और इसे एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

18. रिट याचिका को सभी परिणामी लाभों के साथ अनुमति दी जाती है।

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

सुमित /-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।